छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 11/02/2010

क्रमांक 771/7209/18/2009 :– छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432–अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उप–धारा (23) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदर्श उप–विधि बनाती है,
अर्थात :–

आदर्श उप–विधि
(छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगमों द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु)

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**

(1) ये उप–विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधियां, 2010 कहलाएंगी।

(2) ये उप–विधियां, छत्तीसगढऋ में नगर पालिक निगम (शहर का नाम ....) के प्रशासनिक अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होगी।

(3) ये उप–विधियां, इस अधिनियम की धारा 432–ए(2) तथा/अथवा धारा 432–ए(3) के अधीन नगर पालिक निगम द्वारा उनके अंगीकृत किए जाने की तारीख से शासन द्वारा अधिसूचना के पश्चात्, जैसा लागू हो, प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं** – इन उप–विधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956)।

(2) ''विज्ञापन'' से अभिप्रेत है, सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य किसी उद्देश्य से निजी या सार्वजनिक स्थान से धातु, कांच, फ्लेक्स या किसी अन्य वस्तु से होर्डिंग स्थापित करना, मैदान या भवन की छत या दीवार पर या खम्बे या बिजली के खम्बे या किसी अन्य आधार पर किसी विषय या संदेश के सहित

या रहित रंगकर या छापकर या बिना रंगे या बिना छपे चिपकाना, टांगना या ढांचे का खड़ा करना या लगाया जाना।

स्पष्टीकरण – दुकान या स्थापना में लगा मुख्य साइनबोर्ड जो मूलतः उसका नाम
व पता दर्शाता हो, सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त साइनबोर्ड जो दुकान पर या उसके बाहर हो, चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर, होर्डिंग से विज्ञापन का निर्माण करेगा।

(3) "विज्ञापनकर्ता" से अभिप्रेत है, इन उप–विधियों के अन्तर्गत इस रूप में पंजीकृत तथा नगर पालिक क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र में विज्ञापन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण।

(4) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम से ऐसी हैसियत से नियुक्त अधिकारी।

(5) "निगम क्षेत्र" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के भीतर का क्षेत्र।

(6) "प्रदर्शन" से अभिप्रेत है, प्रकाश सहित या रहित, स्थिर, धूमता या चलता हुए ध्वनि सहित या ध्वनि रहित होर्डिंग का स्थिर या गतिशील प्रदर्शन।

(7) "अवैध विज्ञापन का प्रोत्साहन" से अभिप्रेत है, इन उप–विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल विज्ञापन कार्य में लिप्तता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करना या इन उप–विधियों के उपबंधो के अनुसार आयुक्त तथा/या अधीक्षक द्वारा शक्तियों के प्रयोग या दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप करना या बाधा पहुंचना।

(8) "होर्डिग" से अभिप्रेत है, एकमुखी या बहुमुखी प्रदर्शन–पट, जो धातु, कांच, फ्लेक्स, काष्ठ या अन्य किसी पदार्थ से बनाया गया हो, भूमि पर या ऊंचाई पर स्थापित हो या रखा गया हो, चाहे वह व्यावसायिक या अव्यावसायिक उद्देश्य से हो, चाहे वह उपयोग में हो अथवा न हो, पुते हुए हों या खाली हो, जिसका परिमाप एकल होर्डिंग की दशा में 20फीट या उससे अधिक हो, तथा मार्ग या अन्य स्थान पर कतार में उपयोग में लाए जा रहे होर्डिंग की दशा में 10 फीट या उससे अधिक हो।

(9) "अवैध विज्ञापन" से अभिप्रेत है, प्रयोजन के बिना इन उप–विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदर्शित कोई विज्ञापन।

(10) "अवैध विज्ञापनकर्ता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या अभिकरण, जो इन उप–विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में होर्डिंग प्रदर्शित करता है।

(11) "प्रकाशयुक्त" से अभिप्रेत है, विशेषतः रात्रिकाल में विषयवस्तु की दृश्यता को अंदर या बाहर से बढ़ाने हेतु प्रकाशित।

(12) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, इन उप–विधियों की उप–विधि 4 के निबंधन में ऐसे रूप में नियुक्त अधिकारी।

3. विज्ञापन का विनियमन –

(1) इन उप–विधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से, निगम क्षेत्र में समस्त विज्ञापन जो इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हों, अवैध माने जाएंगे, और इन उप–विधियों के तथा/अथवा अधिनियम के तथा/अथवा किसी अन्य कानून के जैसा कि लागू हो के अन्तर्गत अन्य शक्तियों तथा दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा बिना किसी सूचना के हटाने या जप्ती के दायी होंगे।

परन्तुक (1) आयुक्त – उप–विध्ि के प्रवृत्त होने के पश्चात् इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान विज्ञापनकर्ताओं, वैध अथवा अवैध, को 45 दिनों की अवधि का लाभ दे सकेंगे।

परन्तुक (2) आयुक्त, सामान्य जानकारी के लिए प्रवृत्त की जाने वाली
उक्त उप–विधि की सूचना दो दिनों तक दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में
प्रकाशित कर सकेगा, जो विज्ञापन के प्रयोजन हेतु शासन की अनुमोदित सूची
में हो तथा जो निगम क्षेत्र में प्रसारित हो तथा उसकी एक प्रति नगर पालिक
निगम आयुक्त के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर चिपकारी जाएगी तथा
निगम क्षेत्र में लाउड–स्पीकर पर उसकी घोषणा करायी जाएगी।

परन्तुक (3) परन्तुक (2) में अनुशंसित कार्यवाही के संबंध में आयुक्त की
तरफ से कोई कमी किसी विज्ञापनकर्ता या व्यक्ति को इन उप–विधियों के
प्रावधानों के पालन में विफल रहने का कोई कारण प्रदान नहीं करेंगी।

(2) इन उप–विधियों के उल्लंघन में होर्डिंग का प्रदर्शन या विज्ञापन व्यवसाय करना अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों में अपराध विरचित करेगा तथा तदनुसार धारा 434 के अधीन दण्डनीय होगा।

(3) उप–धारा 2 के अधीन दण्ड, अधिनियम तथा/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत किसी अन्य शास्ति/जुर्माने पर जैसा कि अधिरोपित किया जाए प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) अधीक्षक की नियुक्ति –

(1) इन उप–विधियों के प्रवृत्त होने के पंद्रह दिवस के अंदर, आयुक्त अपने पूर्ण मार्गदर्शन में इन उप–विधियों के प्रयोजन हेतु एक अधिकारी को जो तृतीय श्रेणी के पद से निम्न पद का नहीं होगा, अधीक्षक के रूप में कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त करेगा।

(2) ऐसी अवधि, जब तक एक अधीक्षक नियुक्त किया जाए, तथा, इसके पश्चात् यदि उप–विधि (1) के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर अधीक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक के लिए आयुक्त इन उप–विधियों के अन्तर्गत अधीक्षक समझा जायेगा।

(5) आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य :–

(1) आयुक्त को अधिनियम के अधीन उनमें निहित सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त, इन उप–विधियों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी। :–

(क) उप–विधि 4 के अधीन अधीक्षक को नियुक्त करने तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रकरणों में अधीक्षक को कार्यवाही करने के निर्देश देना।

(ख) अधीक्षक द्वारा निगम क्षेत्र के प्रभाव के लिये यथानिर्मित विज्ञापन जोन की योजना का परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के अनुमोदन करना।

(ग) ''विज्ञापन मुक्त क्षेत्र'' एवं ''विनियमित विज्ञापन क्षेत्र'' के रूप में जोन को वर्गीकृत तथा नामोदिष्ट करना।

(घ) प्रत्येक विनियमित विज्ञापन क्षेत्रों के लिए होर्डिग की अधिकतम संख्या निर्धारित करना, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए सड़क के किनारे, छत के उपर, तथा मार्ग के मध्य क्षेत्र में होर्डिंग का स्थल, स्थिति, अनुस्थापन तथा अन्य सुसंगत विशिष्टताओं का पृथक–पृथक निर्धारण करना।

स्पष्टीकरण :– उपर्युक्त कार्य के लिए आयुक्त व्यावसायियों या अन्य व्यक्तियों से, जैसा उसकी राय में आवश्यक हो अभिमत प्राप्त कर सकेगा।

(ड.) अवैध होर्डिंग के संबंध में होर्डिंग को जप्त करना तथा अन्य समस्त उपाय करना तथा अवैध विज्ञापनकर्ताओं के लिए दण्ड अधिरोपित करना।

(च) अवैध विज्ञापन के प्रोत्साहन पर संज्ञान लेना। इन उप–विधियों तथा/या कोई अन्य कानून जैसा कि लागू हो, के अनुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(छ) विज्ञापन के अधिकारो के लिए उपयुक्त व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम दरें निर्धारित करना।

(ज) उक्त उप–विधि (छ) के अन्तर्गत प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को स्वीकृत या निरस्त करना।

(झ) उप–विधि 7 की उप–विधि (6) में अंतर्विष्ट प्रावधान के अध्यधीन निविदा आमंत्रित करने की प्रकिया तथा रीति निर्धारित करना।

(ञ) होर्डिंग की स्थापना हेतु तकनीकी मानकों तथा उसमें अंतर्वलित जन–सुरक्षा विहित करना।

(ट) इन उप–विधियों के प्रयोजनों को प्रभावशील बनाने के लिए वे सभी कार्य, जो आवश्यक हो, करना।

6. अधीक्षक की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य :–

(1) इन उप–विधियों को प्रभावशील बनाने के लिए अधीक्षक, आयुक्त के सामान्य निर्देशों के अधीन कार्य करेगा और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(क) इन उप–विधियों के प्रयोजन के लिए जोन का चार्ट बनाना तथा उस पर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना।

(ख) विनियमित विज्ञापन जोन हेतु जोनवार तथा/अथवा अनेक जोन के आधार पर विज्ञापन अधिकार हेतु निविदा प्रक्रिया में आयुक्त को समर्थन देना।

(ग) विज्ञापनमुक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा होर्डिंग स्थापित करने के किसी प्रयास का आयुक्त को लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा इस संबंध में आयुक्त के आदेशों को प्रभावी करना।

(घ) विज्ञापनकर्ता से उन्हें आबंटित परिक्षेत्रों में होर्डिंग स्थापित करने के लिए अनाधिकृत तत्वों के प्रयासों के विषय में शिकायतों को प्राप्त करना तथा इन उप–विधियों के अनुसार इस संबंध में सुधार की कार्यवाही करना।

(ड.) विहित रीति के अनुसार अधिकृत विज्ञापनकर्ताओं का रोस्टर संधारण करना तथा इन उप–विधियों से संबंधित या इसके अन्तर्गत सभी विषयों एवं दस्तावेजों का अभिलेख कर संधारित या आच्छादित करना।

(च) इन उप–विधियों के अंतर्गत रॉयल्टी, किराया, शास्तियों तथा अन्य देनदारियों की मांग करना तथा प्राप्त कर निगम खाते में जमा करना।

(छ) होर्डिंग्स का निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करना तथा यदि संतुष्ट न हो, तो आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए आदेशित व प्रवर्तित कराना।

परन्तु, 50 फीट से अधिक परिमाप के होर्डिंग्स की दशा में, अथवा संवेदनशील स्थानों अथवा संवेदनशील रूप से लगाये जा रहे होर्डिंग्स की दशा में, अधीक्षक विज्ञापनकर्ता से होर्डिंग्स की सुरक्षा व स्थिरता के संबंध में प्रमाणित स्ट्रक्चरल यंत्री द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण :– संवेदनशील बिंदु/स्थान/रीति जैसे मामलों में विवाद की स्थिति में आयुक्त का अभिमत अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(ज) अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिए नोटिस जारी करना एवं नोटिस द्वारा वांछित कार्यवाही न होने पर होर्डिंग्स को हटाने तथा राजसात करने हेतु कार्यवाही करना तथा जुर्माना/शास्ति के अधिरोपण तथा राशि प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करना।

(झ) यदि तथा जब आवश्यक हो, तो अवैध विज्ञापनकर्ताओं एवं वे जो इसे प्रोत्साहन देते हैं, के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पुलिस के पास प्राथमिकी तथा/या समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराना।

(ञ) निगम क्षेत्र में सुरक्षित विज्ञापन को प्रोत्साहन देने के लिए जितनी बार संभव हो सके जितना व्यापक संभव हो सके, किसी भी माध्यम से इन उप–विधियों के प्रयोजन तथा उद्देश्य का प्रसार करना।

(ट) निगम क्षेत्र में विज्ञापन इन उप–विधियों के अनुरूप है यह सुनिश्चित करना।

7. विज्ञापन हेतु विहित प्रकिया :–

(1) इन उप–विधियों के प्रभावशील होने की तारीख से निगम क्षेत्र में विज्ञापनों के लिए इस धारा में उपबंधित अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(2) विज्ञापन के लिए प्रयोजन हेतु आयुक्त द्वारा निगम क्षेत्र को जोन में विभाजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– जोन का भौगोलिक क्षेत्र, एक अथवा अधिक वार्डो को सम्मिलित कर अथवा एक सड़क के बिन्दु 'ए' से बिन्दु 'बी' तक का भाग हो सकता है।

(3) जोन की दो श्रेणियां होगी :–
(अ) विज्ञापन मुक्त क्षेत्र तथा
(ब) विनियमित विज्ञापन क्षेत्र।

(4) निगम क्षेत्र को उपर्युक्त उप–धार (2) के अन्तर्गत विभाजित करते समय, आयुक्त द्वारा इन्हें उप–विधि (3) में वर्णित दो श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा।

(5) विज्ञापनमुक्त क्षेत्र में विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) विनियमित विज्ञापन क्षेत्र में विज्ञापन के अधिकार प्रदान करने हेतु आयुक्त ऐसी रीति से पंजीकृत विज्ञापनकर्ताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित करेगा जो केन्द्रीय सर्तकता आयोग तथा/या शासन द्वारा यथा विहित दिशा निर्देशों में यथा अंतर्विष्ट निविदा आमंत्रित करने के लिए मानक संव्यवहार के अनुरूप हो।

(7) उप–विधि (6) के अधीन निविदा जोन के या जोन के क्लस्टर्स के आधार पर आमंत्रित की जाएगी।

(8) निविदा, विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए आमंत्रित की जाएगी, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(9) आयुक्त, निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रत्येक जोन हेतु होर्डिंग की अधिकतम संख्या और होर्डिंग के प्रकार को निश्चित और प्रकट करेगा। उप–विधि (6) और (7) के अधीन निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उस जोन में लगाए जाने वाले होर्डिंग की अधिकतम संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(10) सर्वश्रेष्ठ बोली लगाने वाले को जोन में होर्डिंग लगाने के लिए अधिकार प्रदान किए जाएंगे। उसका चयन, उप–विधि 5 के उप–खण्ड (घ) के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा विहित बिन्दुओं तथा विवरणों के अनुसार उसके वचनबन्ध का निष्पादन तथा रॉयल्टी व नगर निगम के अन्य बकाया भुगतान के अध्यधीन किया जाएगा।

(8) निविदाकर्ताओं को वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(1) विज्ञापन अधिकार हेतु प्रत्येक निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट–अ में दिए गए प्रपत्र में, जो इन उप–विधियों का भाग है, में विहित अनुसार समुचित मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचनबन्ध निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा।

(2) वचनबन्ध प्रस्तुत नहीं करने एवं/या ऐसा करने से इंकार करने पर प्रस्तुत निविदा संक्षेपतः निरंक तथा शून्य हो जाएगी तथा जमा किया गया अग्रिम धन निगम द्वारा राजसात कर लिया जाएगा।

(9) अवैध विज्ञापन को प्रोत्साहन देना :–

(1) अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देना तथा/या होर्डिंग का अवैध प्रदर्शन अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अन्तर्गत अपराध होगा तथा जो धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय होगा।

(2) उप–विधि (1) के अधीन दण्ड, अधिनियम तथा/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत किसी अन्य शास्ति/जुर्माने पर जैसा कि अधिरोपित किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेजीना टोप्पो)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट – अ

वचनबन्ध

(विज्ञापनकर्ता–आवेदक द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधियां, 2009 की उप–विधि–7 के अन्तर्गत अधीक्षक को गैर–न्यायिक स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत किया जाना है)

.... नगर पालिक निगम द्वारा मुझे/हमें नगर पालिक निगम विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधि 2009 की उप–विधि 7 के निबंधन में विज्ञापन अधिकर प्रदान किए जाने के एवज में निगम के क्षेत्र .... के जोन .... में व्यापार/व्यवसाय की सुरक्षित प्रैक्टिस हेतु मैं/हम . ... अधो–हस्ताक्षरकर्ता सत्य–निष्ठापूर्वक निम्नानुसार वचन देते है और घोषणा करते हैं :–

1. यह कि मैं/हम होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करूंगा/करेंगे और होर्डिंग्स की पूरी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करूंगा/करेंगे।
2- यह कि मै निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित्त पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाऊंगा।
3- उपर्युक्त (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मैं/हम निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी प्रकार के क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृति आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई हेतु सम्पूर्ण रू से दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे।
4- यह कि मैं/हम मात्र ऐसी संख्या, स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे जैसा कि आयुक्त द्वारा विहित किया जाए, तथा जिससे न तो पैदल चलने वाले और न यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और न ही उनकी रोशनी से आंखे चौधियाने व अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तथा यदि अधीक्षक द्वारा ऐसी

स्थिति पाई जाए या मुझे/हमें लिखित रूप से सूचित किया जाए तो मैं/हम अधीक्षक की संतुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करूंगा/करेंगे।

5- यह कि अधीक्षक द्वारा मुझे/हमें लिखित में उपर्युक्त (4) के अन्तर्गत स्थिति सूचित करने के उपरांत 72 घंटों के भीतर मेरे/हमारे द्वारा किन्हीं भी कारणों से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने और/अथवा होर्डिंग को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होगा और मैं/हम इस संबंध में निगम द्वारा लिखित में मांगे गए खर्च और शास्ति के भुगतान हेतु दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे।

6- यह कि किसी स्थल पर होर्डिंग के प्रदर्शन करने और/अथवा होर्डिंग लगाने हेतु कोई संरचना/ढांचा खड़ी करने से पूर्व मैं/हम उस भूमि/भवन के स्वामी की विशिष्टियां सुनिश्चित करूंगा/करेंगे, उससे लिखित में अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे और किराए तथा अन्य शुल्कों के निर्धारण और भुगतान के बाद ही उस पर होर्डिंग प्रदर्शित करने हेतु संरचना/ढांचा खड़ा करूंगा/करेंगे।

7- यह कि विद्युत अथव अन्य विभाग के खंभों पर होर्डिंग को श्रृंखलाबद्ध रूप से लगाने के संबंध में मैं/हम संबंधित विभाग/प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे व किराए और अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो, निर्धारण एवं भुगतान के बाद ही होर्डिंग लगाने की दिशा में आगे बढ़ूंगा/बढ़ेंगे।

8- यह कि मैं/हम इसे भलीभांति समझता हूँ/समझते हैं और स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि निगम क्षेत्र में मेरे/हमारे द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति द्वारा चिपकाये अथवा/अन्यथा विकृत किये जाने या नुकसान पहुंचाने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं है तथा मेरे/हमारे द्वारा निगम को इस हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा लेकिन इस प्रकार होर्डिंग को विकृत करने तथा/या नुकसान पहुंचाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने के अपने अधिकार को मैं/हम सुरक्षित रखता हूँ/रखते हैं।

9- यह कि जब कभी अधीक्षक होर्डिंग के स्थल और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे का निरीक्षण करना चाहे तो मैं/हम अपने खर्च पर ऐसा निरीक्षण आयोजित करूंगा/करेंगे।

10- यह कि जब कभी अधीक्षक द्वारा किसी होर्डिंग और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जाएगा। तब मैं/हम अपने व्यय पर अधीक्षक की संपूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐस प्रमाण पत्र प्राप्त करूंगा/करेंगे और उसे प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।

11- यह कि मैं/हम निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधि 2010 की उप–विधि 8 के अनुरूप जैसा कि विहित और लागू हो, होर्डिंग शुल्क का भुगतान निश्चित समय के अंदर करूंगा/करेंगें।

12- यह कि मैंने/हमने विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधि 2010 के उद्देश्य, आशय और प्रयोजन को पढ़ एवं समझ लिया हैं और मैंने/हमने इन उप–विधियों के अन्तर्गत समस्त अपेक्षाओं को अंकित कर लिया है, और यह कि मैं/हम इन उप–विधियों का सम्पूर्ण और भलीभांति अनुपालन करने को वचनबद्ध हूँ/हैं।

13- मैं/हम यह मानता हूँ/मानते हैं तथा स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि जान–बूझकर इन उप–विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आयुक्त द्वारा मुझे/हमें सम्पूर्ण प्रदेश में काली सूचीबद्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

14- यह कि सभी प्रकार की सूचनाओं और अन्य पत्राचार के प्रयोजन हेतु मेरा/हमारा संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

नाम :– ————————————————————————————

पद नाम :– ————————————————————————————

पता :– ————————————————————————————

————————————————————————————

दूरभाष क्रमांक :– ——————————————————————————

मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एवं मेरे/हमारे द्वारा निम्नांकित गवाहों की मौजूदगी में दिनांक .... माह .... वर्ष .... को .... स्थान .... में निगम को प्रदान किया गया।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम और पदनाम